"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 244 ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 8 अगस्त 2011—श्रावण 17, शक 1933

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2011

### आदेश

क्रमांक-एफ 5-2/आठ/परि./2011.—छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम-70-क, के उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार नियम-70-"क" के प्रावधानों से, विद्यमान मार्ग संचालकों के कष्ट एवं कठिनाईयों को दूर करने की दृष्टि से नीचे उल्लेखित क्षेत्रों एवं वाहनों के प्रकारों के संबंध में, एतद्द्वारा निम्नलिखित छूट प्रदान करती है, जो इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगी, अर्थात् :—

1. बस्तर संभाग जिसमें जगदलपुर, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिले शामिल हैं, एवं सरगुजा संभाग जिसमें अंबिकापुर, जशपुर एवं कोरिया जिले शामिल हैं, की विशेष भौगोलिक स्थितियों एवं सघन नक्सल समस्या पर विचार करते हुए मध्यम मार्ग एवं लघु मार्ग के संबंध में नियम-70-क, के उप-नियम (1), (2) एवं (3) के प्रावधान उक्त नियम के लागू होने की तारीख से बारह माह के लिए स्थगित रहेंगे. यह छूट केवल उक्त क्षेत्रों के क्षेत्रीय मार्गों पर ही लागू होंगी.

2. सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में मध्यम मार्ग के संचालकों की कठिनाईयों जो बैठक क्षमता के संबंध में उत्पन्न हुई है, पर विचार करते हुए, उक्त नियम के लागू होने की तारीख से बारह माह की अवधि के लिए, बैठक क्षमता पैंतीस सीट से कम कर तीस सीट की जाती है.

3. उक्त नियम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप, अचानक सेवा अवरुद्ध होने के कारण मार्ग संचालकों की कठिनाईयों यथा-ऋण की वापसी में कठिनाई, वित्तीय कठिनाई एवं वाहन की आयु पर विचार करते हुए, उक्त नियम के उप-नियम (2) में उल्लेखित अनुज्ञा-पत्र प्रदान करने संबंधी एवं नवीनीकरण संबंधी शर्तें, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में अस्थाई रूप से एक वर्ष के लिए शिथिल की जाती है, अर्थात् दीर्घ मार्ग के संबंध में वाहन की आयु आठ वर्ष के स्थान पर नौ वर्ष होगी, मध्यम मार्ग के संबंध में वाहन की आयु दस वर्ष के स्थान पर ग्यारह वर्ष होगी तथा लघु मार्ग के संबंध में वाहन की आयु बारह वर्ष के स्थान पर तेरह वर्ष होगी. यह आदेश उक्त नियम के लागू होने की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध रहेगा.

4. उक्त नियम की विभिन्न शर्तों के फलस्वरूप सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में बस संचालकों को आगामी अस्थायी अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने में आने वाली कठिनाईयों पर विचार करते हुए, आदेशित किया जाता है कि उक्त नियम में वाहन की आयु और बैठक क्षमता से संबंधित प्रावधान छ: माह की अवधि के लिए स्थगित रहेंगे, जो इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए होगा कि अस्थायी अनुज्ञा-पत्र का उक्त संचालक, उक्त छूट की अवधि के भीतर स्थायी अनुज्ञा-पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लेगा.

5. यह और स्पष्ट किया जाता है कि स्थायी अनुज्ञा-पत्र प्राप्ति पर वाहन के प्रतिस्थापन के समय, नये वाहन की बैठक क्षमता, प्रतिस्थापित हो रहे वाहन की बैठक क्षमता से कम नहीं होगी, जो दीर्घ मार्ग, मध्यम मार्ग एवं लघु मार्ग पर संचालित हो रहा है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विलियम कुजूर**, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2011

क्रमांक-एफ 5-2/आठ/परि./2011.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक-एफ 5-2/आठ/परि./2011 दिनांक 08-08-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विलियम कुजूर**, उप-सचिव.

Raipur, the 8th August 2011

ORDER

No.-F 5-2/VIII/Tr./2011.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 70-A, of the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules 1994, the State Government with a view to remove hardship and difficulties to the existing route operators, hereby grant following relaxation in respect of area and type of vehicle mentioned below, from the provisions of rule 70-A, with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely :—

1. Considering the special geographic conditions and acute naxalite problem in Baster division comprising of districts Jagdalpur, Kanker, Narayanpur, Dantewada, Bijapur, and Sarguja divisions comprising of districts Ambikapur, Jashpur, Koria the provision of sub-rule (1), (2) and (3) of rule 70-A, shall be kept in abeyance in respect of medium routes and short routes, for a period of twelve months from the date of coming into the force of the said rule. This relaxation shall be applicable only to the Regisonal Routes of the said regions.

2. Considering the hardship to the medium route operators in respect of seating capacity it is reduce, in the whole State of Chhattisgarh, from thirty five seats to thirty seats for a period of twelve months from the date of coming into the force of the said rule.

3. Considering the financial difficulties of route operators on sudden discontinuation of service, difficulties in re-payment of loans and the age of vehicle due to implementation of said rule. Conditions regarding grant and renewal of permit mentioned in sub-rule (2) of the said rule is temporarily relaxed in the whole State of Chhattisgarh for one year, i.e. In respect of long route the age of vehicle shall be nine years instead of eight years, in respect of medium route the age of vehicle shall be eleven years instead of ten years and in repect of short route the age of vehicle shall be thirteen years instead of twelve years. This order shall be valid for one year from the date of coming into the force of the said rule.

4. Considering the difficulty of bus operators in obtaining further temporary permits due to various conditions of this rule, it is orderd that the provision in respect of age of vehicle and seating capacity in the said rule shall be kept in abeyance in the whole State of Chhattisgarh for a period of six months, subject to the condition that the said operators of temporary permits shall necessarily obtain substantive permit during this period.

5. It is further clarified that at the time of replacement of vehicle on obtaining substantive permit, the seating capacity of the new vehicle shall not be less than the seating capacity of replaced vehicle plying on long route, medium route or short route.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
WILLIAM KUJUR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.